


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेश गहलोत बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं० 158/2023 (ऑनलाईन नं.)	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	<p>अपीलार्थी महेश गहलोत पुत्र प्रेमसिंह गहलोत, निवासी गहलोतों काबास, मगरा पूंजला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 16.02.23 में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./रेकॉर्ड/2022/16142 दिनांक 17.11.2022 की सम्पूर्ण पत्रावली लालसागर वनखण्ड के किन खसरों की मौका रिपोर्ट हेतु आदेश, उत्तरोत्तर कार्यालयों द्वारा जारी फर्द मौका रिपोर्ट, नक्शा, माप, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 930 दिनांक 01.08.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 544 दिनांक 11.05.2023 द्वारा कुल 03 पृष्ठों की प्रमाणित सूचना निःशुल्क प्रेषित की जा चुकी है।</p> <p>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार चाही गई सूचना की 03 पृष्ठों की निःशुल्क प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावाई जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	



(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)